

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00169 (170/2012) 75 एलआरएक्ट
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़-
अपीलान्त

बनाम

1. ईकबाल सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति कुम्हार सिख सा० साबुआना तह० टिब्बी
2. बसरमल पुत्र रूपचन्द जाति सिन्धी सा० जोधपुर।

— रेस्पोंडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 01.12.2011 प्रकरण संख्या
290/2011 बअनवानी ईकबालसिंह बनाम बसरमल

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक - 15.01.2020




1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोंडेंट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत शीर्षक से चक 3 के.एच.आर. की 1.518 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में बसरमल पुत्र रूपचन्द जाति सिन्धी अलॉटी रा० भा० स० अंकित है को जरिये इकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. पत्रावली में यह भी अंकित है कि नियमित किये जाने वाले रकबे पर कोई राशि बकाया होनी नहीं पाई जाती है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश शपथ-पत्र व सिंचाई विभाग की पर्ची के आधार पर क्रेतागण का कब्जा साबित है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई न ही अलॉटी को जरिये नोटिस तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आया। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन में नहीं आता है। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
3. उभयपक्ष वकूलाय की बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोंडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोंडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 बसरमल दिनांक





राजस्थान अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

30.11.2001 को फौत हो चुका था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2011 को पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है और मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किसी भी प्रकार का आदेश अवैध व शून्य है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2017 सुप्रिम कोर्ट पेज 415 व आरआरडी 2017 पेज 9 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।


5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव-6/2011/32/ जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। अन्तरण नहीं होने के कारण दर्ज आवंटी होने के कारण कोई शास्ति भी नहीं थी। हमने समय पर कार्यवाही की इस कारण हमें 25 प्रतिशत राशि देनी पड़ी। देरी करने वालों को नहीं देनी पड़ी। आज निर्णय निरस्त करने पर नये सिरे से विचार करने पर 25 प्रतिशत राशि देय नहीं होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में नये विधान की स्थिति लागू होगी जिसमें 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात् हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की।




राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।
7. आवंटन जमाबन्दी से स्पष्ट एवं प्रकट था। ऐसी स्थिति में आवंटन पत्रावली तलब करना प्रश्नगत नहीं था क्यों कि आवंटन चुनौतीग्रस्त नहीं था अपितु भूमि पर हमारा कब्जा बतौर क्रेता होने उसका नियमन किया जाना था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि धारा-140 एल. आर. एक्ट अनुसार जमाबन्दी के इन्द्राज की सत्य की अवधारणा की जावेगी जब तक कि उसे विपरीत सिद्ध न कर दिया जावे। अपील के स्तर पर इन्होंने आवंटन नहीं होने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया। ऐसी स्थिति में आवंटन पत्रावली तलब करने की आवश्यकता नहीं थी क्यों कि आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी थी। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि की राशि जमा होने पर सनद जारी की जानी थी। प्रश्नगत भूमि पर हमारा ही कब्जा काश्त है।
8. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (79) रेव-6/2011 1 जी.एस.व.आर. 177 जनवरी 03, 2012 के अनुसार आवंटी और अन्तरिती दोनों का आवेदन आवश्यक नहीं है। अपितु आवंटी अथवा अन्तरिती का आवेदन पर्याप्त है अर्थात् दोनों में से किसी एक का आवेदन पर्याप्त है ऐसी स्थिति में आवंटी को तलब करने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि अपीलाधीन आदेश की इन्होंने कोई अपील नहीं की है। इन्हें कोई व्यथा होती तो ये अपील करते।
9. प्रश्नगत भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है। नियम 5 (क) के अनुसार नियमन सही हुआ है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके




राज्य अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

10. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया।

11. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

12. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी चक 3 केएचआर तहसील टिब्बी संवत 2063 से 66 बसरमल वल्द रूपचन्द सिंधी सा० जोधपुर अलॉटी रा०प०भारत सरकार दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। मूल आवंटी को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साधारण सम्मन से तलब किया जाना आवश्यक था यदि साधारण सम्मन से तामील नहीं होती है तो रजिस्टर्ड सम्मन द्वारा तथा उसके बाद समन अखबार में प्रकाशित करवाकर तामील करवाई जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने मूल अलॉटी के सम्मन/नोटिस सीधे ही अखबार में प्रकाशिक करवाये हैं जो विधि सम्मत नहीं है। मूल अलॉटी द्वारा समस्त किश्तें जमा करवाई अथवा नहीं इस संबंध में रिपोर्ट अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी का मूल अलाटी द्वारा बैय किया जाना बताया गया है। अपीलाण्ट ने अपील



राजस्थान अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बसन्तलाल पुत्र रूपचन्द की का मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति पेश हुई है इससे स्पष्ट है कि अलॉटी दिनांक 01.12.2001 को ही फौत हो चुका था और अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2011 को पारित किया गया है। इसे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित किया है जो एकपक्षीय है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश शून्य एवं निष्प्रभावी है इसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2017 पेज 9 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित निर्णय अवैध व शून्य है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि अलॉटी के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।



13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अलॉटी के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

